भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3681

जिसका उत्तर सोमवार, 24 मार्च, 2025/3 चैत्र, 1947 (शक) को दिया गया

एकीकृत पेंशन योजना का कार्यान्वयन

3681. श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के पूर्ण कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है और इससे मौजूदा नई पेंशन योजना (एनपीएस) के अंशदाताओं पर किस प्रकार प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ख) सरकार के लिए एनपीएस की तुलना में यूपीएस की दीर्घकालिक वित्तीय व्यवहार्यता कितनी होने की संभावना है;

(ग) एनपीएस की तुलना में यूपीएस में निवेश करना कितना लचीला है;

(घ) क्या सरकार ने एनपीएस की समस्याओं की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या यूपीएस उपरोक्त समस्याओं का समाधान करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत शामिल किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् सुनिश्चित मासिक पेआउट प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत सरकार द्वारा दिनांक 24.1.2025 को एक विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को अधिसूचित किया गया है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत शामिल किए गए कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के पश्चात् सुनिश्चित पेंशन के संबंध में मांग को पूरा करने के साथ-साथ राजकोषीय रूप से उत्तरदायी वित्तपोषित और अंशदायी पेंशन योजना सुनिश्चित करने के लिए यूपीएस की परिकल्पना की गई है।

(ख): यूपीएस निर्धारित लाभ के साथ निर्धारित अंशदान योजना है। यह कर्मचारियों को सुनिश्चित पेआउट के लिए लागू अंशदान (कर्मचारी और नियोक्ता दोनों से) के नियमित और समय पर संचयन तथा निवेश पर निर्भर करता है। यूपीएस अभिदाता का मासिक अंशदान मूल वेतन और महंगाई भत्ते का दस प्रतिशत होगा और केंद्र सरकार द्वारा इसके समान राशि यूपीएस अभिदाता के पीआरएएन में जमा की जाएगी। केंद्र सरकार कुल आधार पर पूल कॉर्पस में यूपीएस का विकल्प चुनने वाले सभी कर्मचारियों के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के अनुमानित साढ़े आठ प्रतिशत का अतिरिक्त अंशदान भी करेगी। अतिरिक्त अंशदान यूपीएस की दीर्घकालिक वित्तीय अर्थक्षमता सुनिश्चित करते हुए एकीकृत पेंशन योजना के तहत सुनिश्चित पेआउट का समर्थन करने के लिए है।

(ग): वर्तमान में, केन्द्र सरकार के अभिदाताओं को पीएफआरडीए में पंजीकृत किसी भी एक पेंशन निधि का चयन करने और (क) सरकारी प्रतिभूतियों में 100% निवेशों; (ख) संतुलित लाइफ साइकिल निधि जिसमें अधिकतम इक्विटी एक्सपोजर की सीमा 25% तक रखी गई है; (ग) मध्यम लाइफ साइकिल निधि जिसमें अधिकतम इक्विटी एक्सपोजर की सीमा 50% तक है; और (घ) डिफ़ॉल्ट योजना, में से निवेश विकल्पों का प्रयोग करने की अनुमति है| यूपीएस के अंतर्गत, कर्मचारी सिर्फ व्यक्तिगत कॉर्पस के लिए निवेश विकल्पों का उपयोग कर सकता है। ऐसे निवेश विकल्पों को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी व्यक्तिगत कॉर्पस पर निवेश विकल्प का प्रयोग नहीं करता है, तो निवेश का 'डिफाल्ट पैटर्न' लागू होगा। केन्द्र सरकार के अतिरिक्त अंशदान के माध्यम से निर्मित पूल कॉर्पस के लिए निवेश संबंधी निर्णय पूरी तरह से केन्द्र सरकार के पास होते हैं।

(घ) और (ड.): एनपीएस सेवानिवृत्ति पश्चात् लाभों के लिए बाजार सहबद्ध प्रतिलाभ के साथ एक सुनिश्चित अंशदान-आधारित योजना है। एनपीएस के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभों में सुधार लाने के उद्देश्य से एनपीएस को संशोधित करने के लिए उचित उपाय सुझाने हेतु एक एनपीएस समीक्षा समिति गठित की गई थी, जिसमें राजकोषीय निहितार्थ और समग्र बजट पर प्रभाव को ध्यान में रखा गया था, ताकि आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए राजकोषीय विवेक को बनाए रखा जा सके। यूपीएस सुनिश्चित लाभ के तत्वों के साथ एक परिभाषित अंशदान-आधारित योजना हैं जो सेवानिवृत्ति के पश्चात् सुनिश्चित पेआउट से संबंधित समस्याओं का समाधान करती हैं।

*****